

प्रेषक,

सचिव,  
प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

अध्यक्ष/सचिव  
बानू कोशीय सिंग मेमोरियल ट्रस्ट,  
अकराव, सावियाबाद, गाजीपुर।  
संस्था का नाम - बानू कोशीय सिंग,  
फार्मोसी कॉलेज, अकराव, सावियाबाद,  
गाजीपुर।

पत्रांक- प्राशिप/परिषद/2022/1403

लखनऊ दिनांक- 09-03-2022

विषय- सत्र 2022-23 हेतु संस्थान को अनापत्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।  
महोदय,


उपरोक्त विषयक फार्मोसी कॉलेज अकराव इण्डिया (पीसीआई) के पत्रांक 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 as)/11521-23 दिनांक 21-0-2022 एवं 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 as)/12551-63 Online Application for 2022-2023(DS), Online Application for 2022-2023(AS) दिनांक 04-03-2022 को संदर्भित करने का कष्ट करें जिसके अनुक्रम में सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मोसी फार्मास्यूटिकल संवाचित किये जाने हेतु आप द्वारा सहमति/अनापत्ति निर्गत किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

सूचना है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को "उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम-1962 (यथासंशोधित) 1974" की धारा-12(1) में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पीसीआई, नई दिल्ली से प्रथमतः संस्थान एवं माध्यम के अनुमोदनोपरांत ही संस्थान की सम्बद्धता पर विचार करता है।

फार्मोसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पीसीआई), नई दिल्ली के संदर्भ संख्या 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 as)/12551-63 Online Application for 2022-2023(DS), Online Application for 2022-2023(AS) दिनांक 04-03-2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में राज्य स्तरीय सभिति द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर संस्था को सहमति/अनापत्ति पत्र इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फार्मोसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र, सत्र 2022-23 हेतु परिषद द्वारा आहूत सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार की दृष्टि से पूर्ण प्राप्त करवाया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अवधि तक यदि संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया तो ऐसी स्थिति में संस्था को सत्र 2022-23 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति/अनापत्ति पत्र प्रतीकालक है, और उपरोक्तानुसार निर्गत शर्तों को पूर्ण किये जाने पर ही मान्य होगा। साथ ही पीसीआई एवं परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों के अनुरार संस्था का स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय सत्यापन एक माह के अंदर कराया जाएगा। पीसीआई/परिषद के मानकों के क्रम में दिये गये अभिलेखों के सत्यापन की पुष्टि न होने पर अनापत्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय,



(एफओ आरओ खान)

सचिव

पुसं०- प्राशिप/परिषद/2022/7304-05

तददिनांक- 09-03-2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 2050, कानपुर।
2. रजिस्ट्रार-बन्म-सेक्रेटरी, फार्मोसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, एन०वी०सी०सी०, सेक्टर तृतीय तल, प्लॉट नं० 2, कम्युनिटी सेक्टर, गंग आनन्दनई, मार्ग, ओखला फेज-1, नई दिल्ली-110020

(एफओ आरओ खान)

सचिव